कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़

78

एम0टी0सी0 केन्द्र हेतु खाद्य आपूर्ति करने हेतु पुनः तृतीय अल्पकालीन निविदा के लिए नियम एवं शर्तें :–

1. निविदा बंद लिफाफा में निबंधित डाक अथवा हाथों–हाथ कार्यालयावधि में दिनांक 10.11.2016 को संध्या 05 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय भाग अलग–अलग लिफाफा मे रहना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
2. निविदा के साथ 20000/–(बीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट, जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, रामगढ़ के नाम से अग्रधन के रूप में जमा करना होगा।
3. निविदा में अंकित दर प्रति किलोग्राम के दर से सभी शुल्क सहित अंक तथा शब्दों में कम्प्यूटराईज होना चाहिए कटिंग एवं ओभराईटिंग मान्य नहीं होगा।
4. निविदादाता को निबंधन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, स्वच्छता प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा।
5. अद्यतन खाद्य लाईसेंस एवं मापतौल लाईसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. प्राप्त निविदा को रद्द/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र, रामगढ़ होगा।
7. अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताये गये स्थान पर सामग्री उपलब्ध कराने के उपरांत ही भुगतान हेतु विपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
8. एजेंसी का वार्षिक टर्न ओवर वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में न्यूनतम 50,00000/–(पचास लाख) से कम नहीं होना चाहिए।
9. उपायुक्त द्वारा निर्गत अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. आपूर्ति की गयी सामग्री गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण नहीं रहने की स्थिति में उक्त सामग्री का राशि भुगतान नहीं की जायेगी।
11. रोजाना उपलब्ध कराने वाले सामग्री जैसे की दूध, सब्जी एवं फल ताजा एवं सफाई पूर्ण होनी चाहिए।
12. निविदा के आधार पर चयनित एजेंसी को एक वर्ष के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा संतोषप्रद सेवा रहने पर आगे अनुबंध विस्तारित किया जा सकता है।
13. निविदा दिनांक 11.11.2016 के अपराह्न 3:00 बजे उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में खोली जायेगी। उस समय निविदादाता/उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
14. कंपनी के दो वर्ष का अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
15. निविदादाता को एतद् संबंध शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनका एजेंसी काली सूची में दर्ज नहीं है।
16. अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताये गये मात्रा के अनुसार सामग्रियां को पैकेट बनाकर देना होगा।

3/11/16
सिविल सर्जन
रामगढ़

03/11/16
उपायुक्त
रामगढ़।